राजस्थान सरकार

कार्यालय,प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविधालय,उदयपुर।

क्रमांक :–मपोउ / लेखा–भौ.स.नी. / 2009 / दिनांक :–

–: नीलामी सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के विभिन्न भण्डारों के वर्ष 2007–08 , 2008–09 के भौतिक सत्यापन एवं श्रीमान निदेशक,निरीक्षण विभाग,राजस्थान,द्वारा वर्ष 2008–09 में संस्थान के भण्डारों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के दौरान धोषित के लिये नकारा/अनुपयोगी सामानों की नीलामी के कार्यवाही दिनांक 11.08.2009 को संस्थान परिसर में प्रातः 12.00 बजे की जानी निर्धारित है। शर्तें इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्य दिवस तथा कार्यालय समय में देखी जा सकेगी। उक्त सूचनाऐं इस विभाग की " वेब–साईट " **www.rajasthan.gov.in** 'एवं इस संस्थान की वेब–साईट " **www.womenpolytechnicudr.com** पर भी उपलब्ध हो सकेंगी।

नीलामी हेतू निर्धारित आवश्यक शर्तें

1. नीलामी की तिथी 11.08.2009 ही प्रभावी रहेगी किन्तु तिथी में अपरिहार्य कारणें से परिवर्तिन संशोधन करने/नीलामी कार्यवाही को निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा ।

2. नीलामी हेतू प्रति फर्म को तीनों वर्षो के लिये सम्मिलित कार्यवाही के फलस्वरूप उपलब्ध नकारा/अनुपयोगी सामानों की कुल पुस्तांकित राशि पर नियमानुसार प्रभावी धरोहर राशि रूपयै 1910/–(अक्षरे एक हजार नौ सौ दस मात्र) नगद में कार्यालय में प्रातः11.00 बजे तक जमा करानी होगी एवं तत्पश्चात ही फर्म को नीलामी में बोली हेतू पात्र माना जायेगा। यह राशि नीलामी कार्यवाही सम्पन्न होने पर नियमानुसार लौटायी जा सकेगीं।

3. सरकारी बोली से अधिकतम बोली लगाने वाली फर्म को ही निर्धारित समस्त शर्तो के आधार पर नीलामी हेतू प्रयुक्त नकारा/अनुपयोगी सामान नीलाम हुआ मान जायेगा।

4. सामान की सम्पूर्ण राशि मोके पर ही संस्थान में जमा करानी आवश्यक होगी।आंशिक भुगतान किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होगा। सम्पूर्ण राशि के अभाव में सफल फर्म द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि को जब्त कर लिये जायेगा।

5. सस्थान से सामान प्राप्त करने पर सामान में किसी प्रकार की कमी बेशी का दायित्व संस्थान का नहीं होगा।

6. सामान पर लगने वाले " बिक्री– कर–" / " वेट" का भुगतान सफल फर्म को नियमानुसार वहन करना होगा ।

प्रधानाचार्य
राजकीय महिला पोलि0
महाविधालय उदयपुर।